बिहार विधान-सभा वादवृत्त

मंगलवार, दिनांक २८ मार्च १९६७ ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि २८ मार्च, १९६७ को पुर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री धनिक लाल मण्डल के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।

श्री भोला प्रसाद सिंह, प्राचार्य पर आरोप ।

१ । श्री राजमंगल मिश्र एवं श्री बवरी महरा---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि---

(१) क्या यह बात सही है कि राजेन्द्र महाविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय को अंगीभूत कॉलेज 1ली जनवरी १९६७ से बना दिया गया है;

(२) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा ऑडिट किये जाने पर प्राचार्य श्री भोला प्रसाद सिंह द्वारा संस्था के २½ या ३ लाख रुपये के गबन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, यदि हां, तो सरकार उस रुपये को वसूलने के संबंध में कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री कर्पूरी ठाकुर---(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) सरकार के वित्त विभाग द्वारा राजेन्द्र कॉलेज का लेखा अंकेक्षण अभी चल रहा है । अंकेक्षण-प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये यह सही नहीं है कि प्राचार्य, श्री भोला प्रसाद सिंह द्वारा संस्था को अढ़ाई लाख या तीन लाख रुपये के गबन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है । इस स्थिति में श्री सिंह से रुपया वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राजमंगल मिश्र---मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि राजेन्द्र कॉलेज का आंकेक्षण कब से चल रहा है ?

*श्री कर्पूरी ठाकुर---बात यह है कि अंकेक्षण कब से चल रहा है उसकी सही तिथि की जानकारी में माननीय सदस्य को नहीं करा सकता हूं जो प्रश्न माननीय सदस्य ने

उठाया है, वह यह है कि उन्होंने अढ़ाई लाख रुपये या तीन लाख रुपये का गबन किया है। मुझे कहना है कि अभी ऑडिट कम्पलीट हो नहीं हुआ है और रिपोर्ट भी सरकार के पास नहीं आई है इसलिये जब रिपोर्ट नहीं है, तो फिर उन्होंने गबन किया या नहीं, इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजमंगल मिश्र—माननीय मंत्री के जवाब देने से ही प्रश्न उठता है कि ऑडिट चल रहा है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ऑडिट कब से चल रहा है और उसकी वार्षिक रिपोर्ट आई है या नहीं?

श्री कर्पूरी ठाकुर—जी नहीं, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। शिक्षा विभाग में शिकायत मिलने पर वित्त विभाग को लिखा गया था और वित्त विभाग ने अपना ऑडिटर भेजा था। तिथि की जानकारी नहीं है कि किस तिथि से वित्त विभाग ने जांच का कार्य शुरु किया।

श्री नवल किशोर सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री श्री विजय कुमार मित्रा ने फ्लोर क्रोस किया है जिसके लिये उन्हें खेद प्रगट करना चाहिए।

*श्री विजय कुमार मित्र—मुझे खेद है।

श्री राजमंगल मिश्र—मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग ने कब वित्त विभाग को लिखा कि इस कॉलेज की जांच होनी चाहिये।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैं इसकी सही तिथि बताने से असमर्थ हूं।

श्री राजमंगल मिश्र—मुझे इस बात की जानकारी है कि इस कॉलेज में काफी रुपये का गबन हुआ है और सरकार जान-बूझ कर इसका प्रोटेक्शन देना चाहती है। अभी तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसको मंगवाकर यह सरकार सदन के सामने रखना चाहती है या नहीं?

श्री कर्पूरी ठाकुर—यह सरकार तो अभी मुश्किल से तीन सप्ताह पहले आयी है। यह बात कैसे उठती है कि यह सरकार किसी को प्रोटेक्शन देना चाहती है और इसे माननीय सदस्य कैसे समझते हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार नहीं थी तभी ऑडिटर बहाल हुये थे और जब यह सरकार नहीं थी, इसकी जांच उसी समय से चल रही है इसलिये तीन सप्ताह के अन्दर माननीय सदस्य ने कैसे पता लगा लिया कि यह सरकार प्रोटेक्शन देना चाहती है। प्रोटेक्शन की बात बिलकुल बे-बुनियाद है। हम वित्त विभाग को फिर से लिखेंगे कि वित्त विभाग अपने ऑडिटर

को हिदायत दें कि वे अवेक्षण करके जल्द-से-जल्द अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजें। सारी रिपोर्ट सदन के सामने रख दी जायेगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उस समय सही-सही जानकारी, जब आपके द्वारा प्रश्न पूछे जायेंगे, तो सदन को करा दी जायगी।

श्री रामराज प्रसाद सिंह—मेरा एक प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है। माननीय मंत्री ने बार-बार कहा है कि "यह सरकार" उस समय नहीं थी, यह कहां तक जायज है। आखिर कोई सरकार तो थी ही? अध्यक्ष महोदय इसपर आप रूलिंग दें।

श्री कर्पूरी ठाकुर—हमने प्रोटेक्शन के बारे में कहा है।

श्री रामराज प्रसाद सिंह—माननीय मंत्री ने बार-बार कहा है कि "यह सरकार" उस समय नहीं थी। यह उचित नहीं है। यह जो मिली-जुली सरकार है, वह तो है।

अध्यक्ष—कृपया माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें।

श्री परमेश्वर कुमर—मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्षों से महाविद्यालयों में जो बहुत गोल-माल हुए हैं, बिहार का सभी शिक्षा संस्थाओं में गोल-माल हुए हैं उसके लिये क्या सरकार एक योजना बनाना चाहती है कि सारे बिहार में पिछले वर्षों से जो गोल-माल हुए हैं उनकी जांच की जाय? क्या इसके जो प्रभारी मंत्री हैं, इस संबंध में जांच कराना चाहते हैं?

श्री कर्पूरी ठाकुर—यह प्रश्न बड़ा व्यापक है कि और कहां-कहां गड़बड़ियां हुई हैं। हां, कहां-कहां गोल-माल हुए हैं यदि इसकी निश्चित जानकारी माननीय सदस्य करायें, तो गड़बड़ी दूर की जायेगी क्योंकि गड़बड़ी को मिटाने के लिये ही तो यह सरकार है। हम जरूर इसकी जांच करायेंगे।

श्री रामराज प्रसाद सिंह—मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वे अंगीभूत कॉलेज के प्रिंसिपल होने लायक हैं या नहीं?

श्री कर्पूरी ठाकुर—इसका संबंध सरकार से नहीं है।

*श्री रमेश झा—मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वित्त विभाग में जब शिकायत आई और सरकार ने उस कॉलेज का एकाउन्ट जांच करने का आदेश दिया, तो इस बीच क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की कि उसकी क्या स्थिति है और उसके सम्बन्ध में कोई प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट सरकार के पास प्रस्तुत हुई या नहीं।

श्री कर्पूरी ठाकुर--अगर माननीय सदस्य गौर से जवाब सुनते, तो उनको प्रश्न पूछने का कष्ट नहीं करना पड़ता। मैंने कह दिया था कि अभी प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकार के पास प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह का स्थानान्तरण।

२। श्री राम अयोध्या प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, शिक्षा उपाधीक्षक, शिक्षा विभाग, मोतिहारी, चम्पारण में छ सात वर्षों से हैं;

(२) यदि खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इतने दिनों तक उन्हें एक स्थान पर क्यों रखा गया है;

(३) क्या सरकार श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह को वहां से बदल कर किसी दूसरे स्थान पर ले जाना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

श्री कर्पूरी ठाकुर—(१) उत्तर नकारात्मक है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, जिला शिक्षा उपाधीक्षक, मोतिहारी १ अगस्त १९६३ से वहां हैं अर्थात् साढ़े तीन वर्ष से कुछ अधिक दिनों से हैं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) इनके स्थानान्तरण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

*श्री राम अयोध्या प्रसाद—क्या यह बात सही है कि स्थानीय जनता की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह पर अनेकों अभियोग लगाये गये थे?

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को प्रश्न में देना चाहिए कि अभियोग लगाये गये थे या नहीं। मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर तत्काल देना कठिन है।

श्री राम अयोध्या प्रसाद—क्या सरकार को मालूम है कि १९६६ के मार्च या अप्रील में उनकी बदली डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट के पद पर सारन जिले के वैकुंठपुर अंचल में हुई थी?

श्री कर्पूरी ठाकुर—इसकी जानकारी माननीय सदस्य को प्रश्न में देनी चाहिए थी।